

764
संख्या- 764 / 111 (2) / 08-65 (103410) / 2007

सेवा में,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।11/03/08
श्रीमती निवा
27/03/08

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य योजना के अन्तर्गत 181 कार्यों के निर्माण की प्रशाकीय वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/ अल्मोड़ा एवं आपके द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये आगणनों के रादर्भ में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये 181 कार्यों के आगणन लागत रु0 22496.12 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 22219.77 लाख (रुपये दो सौ बाईस करोड़ उन्नीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित रु0 0.05 लाख विवरणानुसार कुल रु0 9.05 लाख (रुपये नौ लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य गजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
10. उक्त कार्य पर इसके किसी भाग हेतु यदि इसके पूर्व विभाग या अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस धनराशि का आहरण न करके शासन को सूचित कर उसे समर्पित कर दी जाय।

27/03/08

-2-

निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

13. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेंडर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

17. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-3054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

18. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-388/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। संलग्नक-181 कार्यों की सूची।

भवदीय,

प्रदीप सिंह रावत

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

संख्या-764

(1)/11-2/08 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), औबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल / हुमांक मण्डल पोड़ी / मैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 ले.नि.वि., पोड़ी / अल्मोडा।
5. परिसर कोषाधिकारी, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

प्रदीप सिंह रावत

सहायक अभियन्ता

लक्ष्मणगढ़

आज्ञा से

प्रदीप सिंह रावत

उप सचिव

अधीक्षण अभियन्ता
7वां वृत्त लोक निर्माण वि.

क्र.सं.	कार्य	प्र.म.	अ.म.	स.म.	कु.म.
47	गांधी स्टेडियम हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।		91.88	91.88	0.05
48	देहरादून में ग्राम ईस्ट होपटान के भूझपुर अलकापुरी गजरे के मध्य पूर्व निर्मित मार्ग को चौका करने का कार्य।	0.35	12.70	12.26	0.05
49	देहरादून में ग्राम उमदेपुर से नया गाँव ईस्ट होपटान समर्क मार्ग की गरमत्त का कार्य।	1.75	64.54	62.58	0.05
50	देहरादून में ग्राम उमदेपुर ईस्ट होपटान में जीवन ज्योति विद्यालय से आगे मन्दिर तक मार्ग का पक्कीकरण का कार्य।	0.18	5.58	5.40	0.05
51	देहरादून में ग्रामरामा ईस्ट होपटान के भूझपुर ग्राम में शिमला मार्ग से शौर्यचक्र विभूता शहीद किरन कुमार के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1.05	38.75	37.51	0.05
52	हिमाली गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक में लंगडासू से परोड़ी में अलगाड़ नदी पर झूला पुल निर्माण कार्य।	45मी०	86.11	86.11	0.05
53	हरिद्वार में खलडाग के ग्राम गुल्तानपुर खलडाग में मेन रोड से गाँव की ओर शमीम अहमद पुत्र बशीर अहमद के मकान तक सी. सी. मार्ग निर्माण।	200 मी०	6.94	5.94	0.05
54	मिर्जागढ़ में गंगोलीहाट ब्लॉक में खिराण्डे-गणाई मोटर मार्ग निर्माण स्टील गाइड रोड कार्य।	12.00 + 60मी०	370.20	370.20	0.05
55	खण्डवाग के जखोली विकास खण्ड के अंतर्गत जाखाल-भटियाणाखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	73.50	73.50	0.05
56	खण्डवाग के अंतर्गत कोटखाल-जखोली मोटर मार्ग से तलगाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण।	7.00	257.25	257.25	0.05
57	खण्डवाग के अंतर्गत गवाड़-खेडीखाल-खण्डवाग का-पावों मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	110.25	110.25	0.05
58	जखोली के अंतर्गत उत्थासू-मल्यासू-बांसी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	110.25	110.25	0.05
59	खण्डवाग के अंतर्गत मिराई-चौरा-भटवाडी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	110.25	110.25	0.05
60	खण्डवाग में अलकनंदा नदी पर ग्राम मिराई धारकोट में झूला पुल निर्माण कार्य।	95मी०	197.70	197.70	0.05
61	खण्डवाग में लाट देवता से थुनका मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	110.25	110.25	0.05
62	खण्डवाग में पौड़ीखाल-गहड़खाल (मिरिंग) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	183.75	183.75	0.05
63	खण्डवाग में मोटर मार्ग में सतह का एस.डी. से सुधार कार्य।	20.75	435.00	388.38	0.05
64	खण्डवाग में आपली मोटर मार्ग का डामरीकरण।	17.125	342.50	342.50	0.05

2195411

— 11 —

— 11 —

— 11 —

— 11 —

— 11 —

— 11 —

— 11 —

अधीनस्थ

परियोजना का नाम

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

सलग्न है


जनपद रुद्रप्रयाग
प्रमुख, विकास विभाग


जनपद रुद्रप्रयाग
प्रमुख, सार्वजनिक निर्माण विभाग


जनपद रुद्रप्रयाग
प्रमुख, प्रशासनिक विभाग